न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 122/2020 जिला–सीकर।

1. सीताराम पुत्र नून्दाराम जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. बोदूराम पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. रूघनाथ पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. शिम्भूदयाल पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. उर्मिला देवी पत्नी शिम्भूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. बरजी पत्नी सीताराम जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. बिमला पत्नी बोदूराम जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
8. सुमित्रा पत्नी रूघनाथ जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. सुवा पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट्

2. जगदीश पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 09.06.2017 एवं 06.07.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री के.आर.शर्मा।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 07.12.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 09.06.2017 एवं दिनांक 06.07.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.10.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 130/राजस्व दिनाक 17.01.2017 के द्वारा ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1529, 1527, 1316, 1320, 1321, 1323, 1306, 1307, 1699, 1541, 1700, 1701, 1703, 1723, 1724, 1725, 1491, 1487, 1489, 1484, 1483, 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536, 1313, 1309/1, 1304, 1302, 1315, 1316, 1319, 1317, 1314, 1530, 1535, 1555, 1482, 1481, 1480, 1485, 1470/1834, 1479, 1478, 1521/1, 1517, 1522, 1489/1826, 1521/2 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6 /2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44 /राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम लिसाडिया के खसरा नम्बर 1529, 1527, 1316, 1320, 1321, 1323, 1306, 1307, 1699, 1541, 1700, 1701, 1703, 1723, 1724, 1725, 1491, 1487, 1489, 1484, 1483, 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536, 1313, 1309/1, 1304, 1302, 1315, 1316, 1319, 1317, 1314, 1530, 1535, 1555, 1482, 1481, 1480, 1485, 1470/1834, 1479, 1478, 1521/1, 1517, 1522, 1489/1826, 1521/2 में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 09.06.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट की निजी खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी हाल खसरा नया 806 पुराना 806 के खसरा नम्बर 1304/1 रकबा 2.1575 है0, खसरा नम्बर 1304/2 रकबा 0.1125 कुल किता 2 कुल रकबा 2.27 है0 स्थित है एवं खता संख्या नया 851 पुराना 1675 के खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1306/1 रकबा 2.2540 है0, खसरा नम्बर 1306/2 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 है0 वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस संख्या 02 के नाम दर्ज व अमल है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रास्ते के प्रस्ताव दिनांक 07.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये जिसमें से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 1306/2 रकबा 0.46 है0 के संबंध में एवं खसरा नम्बर 1304/2 रकबा 0.1125 है0 के संबंध में भी प्रस्ताव भिजवाये गये थे। अधिनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 130/आरए दिनांक 17.01.2017 के द्वारा संलग्न विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 3.01.2017 को दर्ज करते हुये संबंधित खातेदारान को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 07.02.2017 को जारी नोटिस तामिल होकर नही लौटने के कारण पत्रावली दिनांक 09.06.2017 को नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को नोटिय तामील हुये बिना ही एक पक्षीय रूप से आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा प्रार्थी की निजी खातेदारी कृषि भूमि में से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। अपीलार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1304!2 एवं खसरा नम्बर 1306/2 में कभी भी मौके पर कोई रास्ता चालू नही था। मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 1304/2 एवं 1306/2 से पश्चिम की तरफ वाली भूमि खसरा नम्बर 1307, 1309 व 1309/1 की तरफ चालू रहा है। अपीलार्थीगण की भूमि पर कभी भी मौके पर रास्ता नही रहा है और ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी रास्ता रहा हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत बिना मौके पर रास्ता हुये प्रचलित रासता की रिपोर्ट कर जांच करवाकर रास्ता रिकार्ड को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.03.2019 को पत्र कमांक 1540 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिकार्ड एवं मौके की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कहां गया। तहसीलदार श्रीमाधापुर द्वारा दिनांक 18.9.2019 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की खसरा नम्बर 1304 व 1306 में वर्तमान में रास्ता चालू नही होकर उक्त खसरा नम्बरान की पश्चिमी सीमा पर खसरा नम्बर 1307, 1309 व 1309/1 में चालू है जबकि रास्ता उक्त सीमा के दोनो तरफ के

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बरान में काटा गया है। तहसीलदार श्रीमाधापुर की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1304 व 1306 में मौके पर रास्ता नही होना पाया गया हैं। तहसीलदार एवं पटवारी, गिरदावर आदि ने प्रस्ताव बनाने से पूर्व मौके पर नही गये और ना ही मौके के संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस ही दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर एवं संबंधित पटवारी के बयान दर्ज न करके आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2017/06.07.2017 खसरा नम्बर 1306/2 एवं 1304/2 (उत्तरी दक्षिणी की हद तक) के संबंध में पारित किा गया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2017 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 16.09.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1529, 1527, 1316, 1320, 1321, 1323, 1306, 1307, 1699, 1541, 1700, 1701, 1703, 1723, 1724, 1725, 1491, 1487, 1489, 1484, 1483, 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536, 1313, 1309/1, 1304, 1302, 1315, 1316, 1319, 1317, 1314, 1530, 1535, 1555, 1482, 1481, 1480, 1485, 1470/1834, 1479, 1478, 1521/1, 1517, 1522, 1489/1826, 1521/2 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का लिसाडिया, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दीयो की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 के अनुसार ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1529, 1527, 1316, 1320, 1321, 1323, 1306, 1307, 1699, 1541, 1700, 1701, 1703, 1723, 1724, 1725, 1491, 1487, 1489, 1484, 1483, 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1537, 1536, 1313, 1309/1, 1304, 1302, 1315, 1316, 1319, 1317, 1314, 1530, 1535, 1555, 1482, 1481, 1480, 1485, 1470/1834, 1479, 1478, 1521/1, 1517, 1522, 1489/1826, 1521/2 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 एवं 06.07.2017 पारित किया गया है। हम समझते है कि अपीलांटस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 एवं 06.07.2017 से

Scanned by CamScanner

प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांटस् वादग्रस्त आराजी भूमि 1306/2 एवं 1304/2 भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

8. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 एवं दिनांक 06.07.2017 अपीलांट की ग्रम लिसाडीया में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1306/2 एवं 1304/2 (उत्तरी दक्षिणी की हद तक) में से गैर मुमकिन रास्ते के लिये दर्ज की गई भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित उवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner